

(Mr. Speaker)

attention notice has been given by only one friend. It is an important question I know, and many of you have your own doubts and you would like to put questions, but you can resort to some other method to elicit information. But on this call attention the system has been that only those who call the attention of the Minister are called. Therefore, there is no use shouting now. Please adopt some other method for eliciting this information.

Shri S. M. Banerjee: We can ask for information.

Mr. Speaker: Mr. Banerjee always rises on a point of order or point of information, it is both. I know you have a point of order or something, but I will not allow the Minister to answer. I would request only Mr. Panigrahi, the person who has called attention, to put the question.

Shri Chintamani Panigrahi: Before that, I may submit that this is a matter of grave concern to this House, all the members are interested in this. Therefore, please allow three or four other supplementaries of others.

Mr. Speaker: What are you talking? You need not assist others. If you want to put a question, you put. You need not speak for the House. It for is others to take care of themselves.

Shri Chintamani Panigrahi: I would like to know....

Mr. Speaker: I am not sure whether you want to know anything at all.

Shri Chintamani Panigrahi: . . . when this concession was granted to the Birlas, and whether, because there is shortage of electricity in Rajasthan, the demands of other factories who wanted this electricity were not met and preference was given to Birlas. As the Minister has tried his best, because of his guilty conscience, to explain in detail these things, I would like to know whether the hon. Minis-

ter would at least place before the House the agreement with Birlas so that we can know the information in detail and discuss it in the House, because the tiger has been caught in its own den now.

Dr. K. L. Rao: I would like to say that there is no agreement with Birlas. We have nothing to do with Birlas in this matter. There is no concession at all. I am sorry that in spite of my explanation and the whole statement he has raised the question of concession or agreement. All that we have done here is to waive the excise duty on the high speed diesel oil that is used. The amount of power that is produced can be taken by anybody if he pays 35 paise, there is no restriction on that. In fact, if other industrialists also come forward to pay 35 paise, we are prepared to give the power to everybody.

12.49 hrs.

#### RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री कंबर लाल गुप्त, (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ। आपकी मार्गदर्शक है कि देश में पिछले 6 महीनों से गोवंश की हत्या का अनुमान बन्द हो—यह आन्दोलन चल रहा है और केवल दिल्ली में ही लगभग 25 हजार आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, इन के अलावा कई दर्जन लोग शहीद भी हो चुके हैं, सरकार की शक्तियों से और सरकार की कानूनी शक्तियों में। अध्यक्ष महोदय, यह आन्दोलन अब भी चल रहा है और 7 नवम्बर को जो आन्दोलन हुआ, वह वो हुआ ही लेकिन उसके साथ साथ 7 नवम्बर के काब में एक और गठ की हत्या हो गई—यह वे श्रीमन्त बुलचारी लाल नन्दा जी।

अध्यक्ष महोदय : इस के बाद जनता के वित्त आन्दोलन का विरोध भी सी० सुब्रह्मण्यम ने किया था . . .

**Shri Hem Barua (Mangaldai):** Is he referring to cow or bull?

**Mr. Speaker:** He is discussing the arrest of an hon. Member of this House. He is raising a question of privilege on the arrest of an hon. Member of this House.

श्री अंबारसास मुख्त : लेकिन जनता के जिस धा दोहन का विरोध श्री सुब्रह्मण्यम ने किया था उस को भी निकाल कर फेंक दिया ।

अध्यक्ष महोदय, 5 अप्रैल को दोपहर को तीन बजे इस लोक सभा के एक माननीय सदस्य श्री ब्रह्मानन्द को जब उन्होंने सत्याग्रह किया 186 लोगों के साथ पालियामेंट के सामने जहाँ 144 वक्ता लगे हुए हैं, उन को गिरफ्तार किया और उन को ट्रक में बैठा कर ले गये । बाद में उन्हें ब्याज प्राया कि यह लोक-सभा के सदस्य हैं, ट्रक से बचलाया, जीप लाई गई और जीप में बैठा कर पुलिस अधिकारियों ने घाघ, पीन बंटे तो पालियामेंट का चक्कर लगाया । कभी पालियामेंट के पास आ गये कभी दूर ले गये, उन को घुमाते ले गये और घाघ बंटे बाद उन को पालियामेंट स्ट्रीट के बाने में ले गये । वहाँ पर उन के साथियों के साथ 187 की आं उन की संख्या भी उन को बिठा दिया गया । उन के चारों तरफ पुलिस कांटेस्ट्रु-स छोड़े कर दिये गये । उन के नाम और उन के पते लिखे गये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो कन्स प्रोसीक्यूटोर ऐंड कंक्ट आफ विजनस इस लोक सभा का है उस का कन्स 229 में कोट करना चाहता हूँ :

"When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under executive order,

the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Third Schedule."

मैं उस से प्रगला हल भी प्राप की सेवा में पढ़ना चाहता हूँ :

"When a member is arrested and after conviction released on bail pending an appeal or otherwise released, such fact shall also be intimated to the Speaker by the authority concerned in the appropriate form set out in the Third Schedule."

रफा 144 लगाई हुई है और उस जगह पर उन्होंने सत्याग्रह किया और वह सत्याग्रह करने की सूचना प्राप को भी अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने दी है । प्राप को उन का पत्र मिला होगा । वहाँ उन्होंने नारे लगाये सब सत्याग्रहियों के साथ । सबेरे उन के हाथ में बे और पुलिस की कस्टडी में वह जीप में पुलिस स्टेशन में ले जाये गये और वहाँ पुलिस वालों ने उन को बैठाया । उन के चारों ओर पुलिस थी । उन को हिलाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, वह बाहर नहीं जा सकते थे और उन के एंड्रेस भी नोट किये गये । अब उस की सूचना अध्यक्ष महोदय, प्राप को पुलिस को देनी चाहिए थी और फिर प्राप सब्न् को देते लेकिन यहाँ के जिला अधिकारियों ने उस की सूचना इस सब्न् को या हमारे स्पीकर महोदय को नहीं दी । न उन की गिरफ्तारी की सूचना दी और न उन की रिहाई की सूचना दी । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि हमारे विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, इस सब्न् का असम्मान हुआ है । मेरी प्राप से प्रार्थना यह है कि जिला अधिकारी को या

[श्री कंबर लाल गुप्त]

उस पुलिस अधिकार को यहां पर बुलाया जाय या वह मामला प्रीविलेज कमेटी के सुपुर्व कर दिया जाय।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं और वह यह कि शायद मंत्री महोदय यह कहें कि कोई लिखावट में चीज नहीं है, कोई आर्डर लिखा हुआ नहीं है। अब अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार जब सत्याग्रही होता है तो लिखा हुआ आर्डर नहीं होता। स्वामी जी ने सत्याग्रह किया लेकिन ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ हुआ और हमारे साथी श्री बलराज मधोक के साथ हुआ और भी सैकड़ों लोगों के साथ हुआ कि जिनको गिरफ्तार कर के जेल में भेज दिया गया लेकिन किस जुर्म में भेजा गया किस तरह से भेजा गया कोई वारन्ट नहीं, पृष्ठताछ नहीं, सीधे जेल में भेज दिया गया। उस के लिए तो थोरल आर्डर हो सकता है, लिखावट में आर्डर होना जरूरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो एक डिटेनशन वॉर्ड है उस की भी परिभाषा आप के सामने पढ़ देना चाहता हूं। लीगल टर्म्स एंड फ्रेजिज में डिटेनशन की जो परिभाषा कानून में की गई है उस का मतलब यह है कि अगर किसी की आजादी के ऊपर आप आघात करते हैं, जो अपनी इच्छा से कुछ करना चाहता है उस पर रोक लगाते हैं चाहे वह एक घंटे के लिए हो चाहे वह दो घंटे के लिए हो तो वह डिटेनशन माना जाता है। इस तरह के बहुत सारे कोर्टों के केसेस भी हैं, हाईकोर्ट का जजमेंट भी है और मैं यह आप की धाजा से पढ़ना चाहता हूं :

"Detention means keeping back. This may take place either by physical force....."

Mr. Speaker: That is accepted by everybody. There is no dispute about the meaning of detention.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): They might say, he was not detained.

श्री कंबर लाल गुप्त : मैं वही कहना चाहता था कि मुझे लगता है कि यह दिल्ली की पुलिस की गलती है। मैं आप को बतलाऊं कि हाईकोर्ट ने हमारे केस में जजमेंट दिया कि पुलिस ने गलत कार्यवाही की है और यहाँ तक उसने कहा कि मजिस्ट्रेट ने भी गूठा एक्सेडेंट फाइल किया पुलिस के कहने पर। वह उस हाईकोर्ट के आर्डर में लिखा हुआ है। हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किये कि इस तरह से काम नहीं होना चाहिए लेकिन सरकार ने उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन दिल्ली की पुलिस मालूम होता है बदलते हुए हालात में बदलना नहीं चाहती लेकिन अध्यक्ष महोदय उन को बदलना चाहिए। उन को अपने तौर और ऐतबार बदलने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि अधिकारी इस बात का बचाव लें कि डिटेनशन नहीं हुआ। अब डिटेनशन किस को कहते हैं वह मैं पढ़ कर पूरा आप को बतलाना चाह रहा था :

"Detention means keeping back. This may take place either by physical force, that is to say, the person detained is kept back by physical force or threat or it may be due to deception practised on the person concerned or it may be due to inducement or persuasion, that is to say, a rosy picture may be painted before the person concerned."

अब अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने उनको डिटेन नहीं किया तो वहाँ पुलिस स्टेशन पर अधिकारी उन्हें कोई दावत खिलाने तो ले नहीं गये थे। अब अगर उन्हें गूठ-गूठ बहका कर भी पुलिस स्टेशन पर ले गये कि वहाँ तुम्हें दावत खिलाई जायगी तब भी यह डिटेनशन है। इस हिसाब से वह एक रोजी पिक्चर भी लेकिन इन्होंने सत्याग्रह किया था और सत्याग्रह करके वह बहाने गये। उन को बिठाया गया

पुलिस की कस्टडी में बंधी पर उन के पारों  
 एक पुलिस वाले तैनात थे। उन के नाम  
 ब पों लिखे गये। इन्तजिए प्रमुख महोदय,  
 मैं पुनः धार से यह प्रार्थना करना कि यह  
 सारा मामला प्रीविलेज कमेटी को सौंप देना  
 चाहिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** जब  
 स्वामी जी 30 मां से घटना दे र्ण हैं और  
 बड़ जित उद्देश्य के लिए घटना दे रहे हैं  
 खप से तो किसी का मतभेद हो सकता है  
 लेकिन वह भारत के नागरिक हैं और संसद्  
 के सदस्य हैं। क्या दिल्ली की पुलिस को  
 यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी नागरिक  
 को और किसी भी संसद् सदस्य को जम चाहे  
 तब कहीं से भी उठा कर ले जायें।  
 जिनके घंटे चहें अपनी हिरासत में रखें  
 और जब चाहे उन का छोड़ दें। अगर  
 दिल्ली की पुलिस ने उन को हिरासत  
 में रखा था तो उन को मूचना प्राप्त की क्यों  
 नहीं दी गई? उन को हिरासत से छोड़  
 दिया तो उनसे धार के प्राप्त को जानकारी क्यों  
 नहीं दी गई या मुझ मंत्री महोदय ने दिल्ली की  
 पुलिस को यह कृप दे दी है कि वह मनमाना करे,  
 जब चाहे तब को पकड़ कर ले जायें और  
 जब चाहे किसी को छोड़ दे। अध्यक्ष  
 महोदय मैं समझता हूँ कि यह मामला बहुत  
 गंभीर है। गृह मंत्री महोदय दिल्ली की  
 पुलिस को रखा करने की कोशिश न करें।  
 अगर इन मानने में कोई गलती हुई है तो  
 उन्हें दिल्ली का पुलिस को तरफ से सदन  
 से माफी मांगनी चाहिए।

**श्री प्रहल्लाद शास्त्री (हापुड) :**  
 पूर्व इस के कि गृह मंत्री जी इस के सम्बन्ध  
 में अपना बक्तव्य दें मैं धार से यह निवेदन  
 करना चाहता हूँ कि यह गिरफ्तारी किसी  
 सामान्य नागरिक की नहीं हुई है। जब यह  
 चीज समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो गयी  
 है और सारे देश को पता लग गया कि स्वामी  
 ब्रह्मानन्द एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी हुई,  
 156 (A) LSD-6.

सारे देश को पता लगने के बाद आश्चर्य  
 इस बात का है कि जिन सदस्यों के स्वाभिमान  
 और गौरव के रक्षक धार हैं उन को गृह मंत्री-  
 सय की धार से या दिल्ली की पुलिस की  
 धार से किसी तरह की सूचना न देना एक  
 बड़ी अनुचित बात है।

यह धारका नहीं सारे सदन का और  
 संसद् सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है।  
 इस दृष्टि से मैं चाहता हूँ कि इसे प्रिविलेज  
 कमेटी को भेजा जाय।

13 hrs.

**The Minister of Home Affairs (Shri  
 Y. B. Chavan):** Sir, I will pace my  
 statement on the oral report that I  
 have received from the officers con-  
 cerned of the Delhi Administration.  
 I got intimation of this Privilege  
 Motion sometime yesterday evening.

**डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नड़) :**  
 अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यक्तया का प्रश्न है।  
 इस के पाने यह कि पहले से ही गृह मंत्री  
 जी कह देना चाहते हैं कि यह सब है या मूठ  
 है इस की वह खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेना  
 चाहते हैं। उन को जो कुछ पुलिस से  
 मिलेगा वह उसे यहाँ पढ़ कर सुना देना चाहते  
 हैं। सब से पहले मैं जानना चाहता  
 हूँ कि उन के दिमाग में क्या है। वह इस  
 तरह से नहीं पढ़ सकते। या तो धार उन  
 को मना कीजिये इस तरह से बोजने के लिये..

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मेरे दिमाग  
 में कुछ नहीं है। हर्कानर की बात है।  
 और जैसी हकीकत मेरे पास है वह मैं धार के  
 सामने रख रहा हूँ। मेरे दिमाग की कोई  
 बात नहीं है।

**डा० राम मनोहर लोहिया :** उन का  
 बिल्कुल सीधा वाक्य है कि मेरा जबाब  
 धारारित है उस रिपोर्ट पर जो पुलिस से  
 मुझ को मिली है। इस के क्या पाने होंगे?  
 इस में कहीं कोई भी किसी तरह का ...

**Mr. Speaker:** After all, the Home Minister of India is not going to personally enquire into these things. Only through his officers he conducts the enquiry. That is what he means. Even then it does not mean that the Home Minister is not responsible. If something happens in Assam he cannot run up there and get the information. He only gets the information through his officers.

**डा० राम मनोहर लोहिया :** उन के आफिसर्स, पुलिस को रिपोर्ट ।

**Shri Bal Raj Madhok (South Delhi):** Then he need not say that it is the information he has received. It is his information. We are not concerned with the source of his information. We are concerned with the information that he gives.

**Shri Y. B. Chavan:** I do certainly make a distinction of these things, because after hearing these reports I could not make any special further enquiry on the matter because I received this intimation yesterday afternoon.

**डा० राम मनोहर लोहिया :** तो सभी मत करने दीजिये, अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं ।

**Shri Y. B. Chavan:** Whatever information I have got I am giving here. I can take responsibility for a certain action which I ordered. If I make an inquiry and if I accept the verdict of the inquiry, then it is my responsibility.

**डा० राम मनोहर लोहिया :** आप जो कहिये पूरी अपनी जिम्मेदारी पर कहिये ।

**Shri Kanwarlal Gupta:** You can make the report tomorrow.

**श्री बलबन्तराव चव्हाण :** जरूर जो मैं कह रहा हूँ उस की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ ।

**डा० राम मनोहर लोहिया :** उन की जिम्मेदारी नहीं, तब मुहूँ स कहने के क्या मतलब है यह बतलाइये ?

**श्री बलबन्तराव चव्हाण :** मेरी पूरी जिम्मेदारी है ।

Whatever information I am giving you, I am taking the responsibility for it. Therefore, my report is made in the afternoon of 5th April, 1967. Shri Bramhanandji, M.P., was sitting in the round-about to the north of Parliament House. He was joined by about 150 persons for a demonstration against cow slaughter. The demonstrators were peaceful. At about 3.00 p.m. Shri Bramhanandji and other demonstrators of their own accord got into three police vehicles that were there.

**Shri A. B. Vajpayee:** Of their own accord?

**डा० राम मनोहर लोहिया :** अध्यक्ष महोदय . . .

**Shri Y. B. Chavan:** I am telling you, the impression that I got . . .

**Shri A. B. Vajpayee:** This is fantastic.

**Shri Y. B. Chavan:** It may be fantastic. From the facts that I have received it appears that these people really were doing satyagraha for getting arrested and the police refused to arrest them. That seems to be the impression that I get from the report of the case. It went on . . . . . (Interruption).

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं, तब हमारे विज्ञापिकाओं का मामला है, सदन के विज्ञापिकाओं का सदन के एक एक सदस्य के विज्ञापिकाओं का मामला है, अगर मंत्री महोदय जानकारी दे रहे हैं तो पूरी तरह से बातों के बारे में वक्त

हमना से क्योंकि जो विशेषाधिकारों का उल्लंघन अभी तक दिल्ली के अफसरों ने किया है अभी महोदय भी उस में शामिल हो जायेंगे। अगर वह उन की कही हुई बातों को यहां दोहराना चाहते हैं तो दोहराने से पहले वह बता लगा लें कि जिज्ञास्य क्या है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तो मुझ को वक्त दिया जाय।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम वक्त देने के लिये तैयार हैं।

Mr. Speaker: I think it would be better if we allow some more time. Further, tomorrow is a working day. Therefore, we will take it up tomorrow. Now we will adjourn for lunch.

13.05 hrs.

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock)

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

Shri Buta Singh (Rupar): Sir, we could not hear the bell in the Central Hall.

Mr. Deputy-Speaker: Papers to be laid on the Table. Shri Morarji Desai.

14.04 hrs.

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

##### AUDIT REPORT (CIVIL) 1967

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(1) Audit Report (Civil), 1967, under article 15(1) of the Constitution.

(2) Appropriation Accounts (Civil), 1965-66.

##### SALT CESS (AMENDMENT) RULES, ETC.

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Raghunath

Reddi) (On behalf of Shri Fakhruddin Ali Ahmad): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Salt Cess (Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. S.O. 3592 in Gazette of India dated the 26th November, 1966, under sub-section (3) of section 6 of the Salt Cess Act, 1953. [Placed in Library. See No. LT-286/67].

(2) (i) A copy of the Annual Report of the Triveni Structural Limited, New Delhi, for the year 1965-66, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company. [Placed in Library. See No. LT-287/67].

(3) (i) A copy of the Annual Report of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 1965-66, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company. [Placed in Library. See No. LT-288/67].

(4) (i) A copy of the Annual Report of the National Instruments Limited Calcutta, for the year 1965-66, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.